संख्या-835/2018/1608/22-2-2018-17(265)/2010

प्रेषक,

अमर सेन सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 01 नवम्बर, 2018***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामबली सिंह पुत्र श्री सभाजीत सिंह] निवासी जनपद-हमीरपुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-31595/प्रोबे0-5/द0या0 बैठक 07.08.2018 दिनांक 06-09-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी रामबली सिंह पुत्र श्री सभाजीत सिंह, निवासी-छानी बुजुर्ग, थाना-बिवार, जनपद-हमीरपुर का रहने वाला है। बन्दी द्वारा जमीनी रंजिश को लेकर दिनांक 20.07.1982 को 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर दोनाली व एक नाली बन्दूक से फायर करके 01 व्यक्ति की हत्या कारित की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-92/1983 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश (द0प्र0क्षे0), हमीरपुर के आदेश दिनांक 07.12.1984 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 18.06.2018 तक 17 वर्ष, 08 माह, 27 दिन की अपरिहार सजा तथा 22 वर्ष, 10 माह, 11 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है किन्तु जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है तथा दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी के कारित अपराध की प्रकृति एवं विरोधी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी रामबली सिंह (बन्दी संख्या-15969) पुत्र श्री सभाजीत सिंह] निवासी जनपद-हमीरपुर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अमर सेन सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-635/2018/1608(1)/22-2-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, **हमीरपुर**।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, **केन्द्रीय कारागार, आगरा**।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in